उत्तराखण्ड शासन
नियोजन विभाग
संख्या : 26 / XXVI / (दो) / 2007
देहरादूनः दिनांकः 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2007

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन के अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्याधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 के रिक्त 13 पदों पर लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड शासन द्वारा किये गये चयन के आधार पर राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उनके नाम के सम्मुख अंकित अर्थ एवं संख्या विभाग के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति करते हुए प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्व किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– सम्बन्धित कार्मिकों को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में अंकित अर्थ एवं संख्या विभाग के कार्यालयों में सम्बद्व किया जाता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बाद में नियमानुसार चरित्र एवं प्रावृत्त के सत्यापन के पश्चात उनका चरित्र एवं प्रावृत्त उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2– इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में मेडिकल बोर्ड गठित कर किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा सही रूप से अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

3– नियुक्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। चूंकि सम्बन्धित जनपदों में अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद अधिकांश रूप से रिक्त नहीं हैं अतएव अभ्यर्थियों का वेतन उनके प्रशिक्षण के दौरान निदेशालय द्वारा संकलित रूप से निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संवर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों हेतु सृजित अर्थ एवं संख्याधिकारी पदों के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

4– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5– अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाणपत्र भी सम्बन्धित कार्यालयों को प्रस्तुत करने होंगे :–

  1– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सकिय सेवा में हों और उनसे पूर्णरूप से परिचित हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में) ।

  2– अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र(संलग्न प्रारूप में)।

  3– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाणपत्र।

  4– लिखित रूप में एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं प्रावृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा में उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

  5– एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाणपत्र।

.....2 /–

C:Negi:appointment of Eco&Stat Officer

6– अर्थ एवं संख्याधिकारी संवर्ग में उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता जिसका लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर बाद में नियमानुसार की जायेगी।

7– सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 13.03.2007 से 04.04.2007 तक उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल में 14वें सेवा प्रशिक्षण में भाग लेना भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में आयोजित उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निम्न बिन्दु भी अवलोकनीय हैं :–

1– अकादमी में भोजन एवं आवास पर होने वाले व्यय के लिये रू0 125/– प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से स्वयं उनके द्वारा वहन किया जायेगा।
2– सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतया आवासीय है।
3– व्यायाम के लिये ट्रैक सूट/सफेद पेंट/नेकर व टी–शर्ट तथा पी0टी0/स्पोर्ट्स शूज प्रशिक्षार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने साथ लाना होगा।
4– बंद गले का कोट एवं ग्रे कलर की पेंट अपने साथ लाना होगा।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या : 26 /XXVI/(दो)/2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3– निदेशक, प्रशासनिक अकादमी नैनीताल को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के माध्यम से कराते हुए परीक्षण रिर्पोट शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अधिकारियों के विभागीय प्रशिक्षण हेतु सैण्डविच पैटर्न का कोर्स तैयार किये जाने की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
7– संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक,अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल।
8– समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– सम्बन्धित कार्मिक (नाम से)
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

C:Negi:appointment of Eco&Stat Officer

(35)

शासनादेश संख्याः 26 /XXVI/(दो)/2007 दिनांकः 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2007 का संलग्नक

अर्थ एवं सख्यांधिकारियों के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति/सम्बद्धीकरण

चयनित अभ्यर्थियों के नाम	गृह जनपद	तैनाती/सम्बद्धीकरण का जनपद
1	2	3
कु0 चित्रा	हरिद्वार	देहरादून
श्री राजेन्द्र तिवारी	अल्मोड़ा	नैनीताल
गीतांजलि शर्मा	देहरादून	हरिद्वार
श्री त्रिलोक सिंह अन्ना	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा
श्री दिनेश चन्द्र बडौनी	टिहरी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल
श्री मनीष राणा	पौड़ी गढ़वाल	चमोली
श्री सुरजीत सिंह	हरिद्वार	टिहरी गढ़वाल
कु0 इला पन्त	अल्मोड़ा	ऊधम सिंह नगर
श्री अमित पुनेठा	चम्पावत	पिथौरागढ़
रश्मि हलधर	देहरादून	संयुक्त निदेशक कार्यालय पौड़ी
श्री ललित चन्द्र आर्या	नैनीताल	उपनिदेशक कार्यालय हल्द्वानी
श्री अमित वर्मा	देहरादून	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
श्री निर्मल कुमार शाह	पौड़ी गढ़वाल	निदेशालय,देहरादून

C:Negi:appointment of Eco&Stat Officer